भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3622

उत्तर देने की तारीखः 15.07.2019

विद्यालयों में आपदा प्रबंधन शिक्षा

3622. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

श्री राहुल रमेश शेवलेः

श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आपदाओं के दौरान विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति का सामना करने के उद्देश्य से दिल्ली सहित देश में दोनों सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को आपदा प्रबंधन शिक्षा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार आपदा जैसी स्थिति के दौरान विद्यालयों में भगदड़ को रोकने, आग लगने पर निकास-मार्गों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करने और आपदा जैसी स्थिति के दौरान त्वरित अनुक्रिया के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने और कतिपय उपकरणों के प्रयोग के बारे में बता रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्य देशों के आपदा प्रबंधन संस्थानों के साथ की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ), 2005 इसके पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में सभी स्तरों पर विषय क्षेत्रों में स्कूल पाठ्यचर्या में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के प्रति जागरूकता और उनके प्रबंधन को शामिल करने पर जोर देता रहा है। स्कूलों में आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाएं

पृथक विषय के रूप में नहीं पढ़ाए जाते हैं; इसके बजाए उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों में इनके संदर्भ एकीकृत किए जाते हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में हैं, इसलिए अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने दिनांक 01.09.2017 के पत्र के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के संबंध में लिखा है। इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा तैयार स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 से संबंधित दिशानिर्देश सांविधिक प्रकृति के हैं और इनका किसी भी विचलन के बिना अनुपालन किया जाना आवश्यक है। एनडीएमए दिशानिर्देशों में अग्नि सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को शामिल करके स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा तिमाही सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है। ये दिशानिर्देश सार्वजनिक डोमेन में हैं और www.mhrd.gov.in पर रखे गए हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा तैयार किया गया स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित मैनुअल में भी विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरणों जैसे स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, स्कूल प्रबंधन, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों को मैनुअल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए चिह्नित किया है। इसका ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन पर है और www.ncpcr.gov.in पर रखा गया है।

केन्द्रीय विद्यालय सगंठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासक (सीटीएसए) के अंतर्गत सभी स्कूल छात्रों के लाभ के लिए मॉक-ड्रिल, प्रशिक्षण और कुछ उपकरण जैसे अग्निशामक का उपयोग आयोजित किया जाता है।

(घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी ने स्कूलों में छात्रों को आपदा प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्य देशों के आपदा प्रबंधन संस्थानों से कोई परामर्श नहीं किया है।

(ड.): एमएचआरडी ने दिनांक 09.10.2014 के पत्र के तहत बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें ऐसी रोकथाम वाली संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाओं का सुझाव दिया है जो इस प्रकार की घटनाओं के मामलों में राहत और निवारण के साथ-साथ स्कूली शिक्षा प्रणाली में लागू किए जाने चाहिए। दिशानिर्देशों में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं जिसमें स्कूल भवन, खेल मैदान, जल निकाय, विद्युत और अग्नि सुरक्षा तंत्र, स्कूल परिवहन आदि जैसी अवसंरचना शामिल हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें पेयजल स्वच्छता, शौचालय स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और मध्याह्न भोजन में स्वच्छता शामिल है; मनोवैज्ञानिक पहलू

जिसमें शारीरिक दंड का उन्मूलन, छेड़छाड़/यौन शोषण, स्कूल का वातावरण शामिल है; निगरानी में शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारी को शामिल किया गया है, दिशानिर्देश की निगरानी और कार्यान्वयन तंत्र भी प्रदान किया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 11.09.2017 को फिर से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरे प्रशासनिक और निगरानी तंत्र को सुग्राही बनाने; और बच्चों के लिए स्कूलों में एक सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत वातावरण को संस्थागत और सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

इसके अतिरिक्त, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को निम्नलिखित सहित, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है:-

(i) अविनाश मेहरोत्रा (याचिकाकर्ता) बनाम भारत संघ और अन्य (प्रतिवादियों) के मामले में 2004 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 483 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देश;

(ii) एनडीएमए द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 के दिशानिर्देश जो प्रकृति में सांविधिक है;

(iii) एनसीपीसीआर द्वारा तैयार किया गया स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित मैनुअल और

(iv) समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड- 2005.

*****